[Shrimati Margaret Alva]

Madam, a lot has been said about the feeder airlines—Vayudoot. I am not holding brief for any individual or any person. But just look for a minute at the figures which are published, of course, by the new Government and not by us. And the Vayudoot revenue growth is given. From 1984-85 when it was Rs. 5 crores, in 1989-90, it has crossed Rs. 45 crores. I am just saying that here is an airline which has got also to meet the social costs. Many people are today saying, 'Oh, why have it? It is not a profitable business; it is not this and it is not that.' I want to ask you:

6 P.M. Does every train in this country run as a profitable business? In the North-East, where you are linking the remotest parts, where the trains may not go and roads are not developed, it is the Vayudoot which is known, it is the Vayudoot which represents the unity and integrity of India. It is the Vayudoot which represents the unity of India in these parts, besides the Doordarshan and the All-India Radio. This is the only link with the people in these remotest parts. It has to be subsidised. Even if this means a certain amount of loss, this cost we have to pay from the exchequer for holding these remotest parts of the country with us. We find that whenever a question in regard to air services comes up in the House, every Member stands up and says 'There should be a Vayudoot service to my town, to my part of the country, to my area'. (Time-bellrings3 Madam, this is not the end of my speech?

THE DEPUTY CHAIRMAN: This is not the end of your speech. This is the end of the time allotted for the discussion today. We have a Half-an-hour Discussion to be raised by Mr. Naresh Puglia. I would remind hon. Members, before I ask Mr. Puglia to speak, that they cannot consider this to be a *suo motu* statement made by the Minister and start sending their names. It will become a big list. This only concerns the hon. Member who is going to raise the discussion and the Minister. After the Member concerned speaks briefly and the Minister replies, I may permit one or two people, but not everybody. (*Interruptions*) This is a serious matter. That is why I have allowed you, Mr. Puglia.

SHRI H. HANUMANTHAPPA: Be liberal, Madam. (*Interruptions*).

THE DEPUTY CHAIRMAN: I want that this should be completed at 6.30 P.M.

SHRI NARESH C. PUGLIA: (Maharashtra): Madam, you are from that State.

THE DEPUTY CHAIRMAN: The whole country is mine. Every subject which is taken up is important for me. You may start. आप शार्ट स्पीच दीजिए, ताकि मंत्री जी जवाब दे सकें ।

HALF - AN - HOUR DISCUSSION

Points arising out of answer given to Starred Question No. 82 on 7th May, 1990, regarding demolition of private houses, etc., of Ghughush Colliery site in Chandrapur district, Maharashtra

श्री नरेश सी० पुगलिया (महाराष्ट्र): उपसभापति महोदया, मैं सब से पहले आपके माध्यम से सभापति जी का अभिनंदन करूंगा कि जिन्होंने इस विषय की गम्भीरता को देखते हुए 7 तारीख को जो हमारा स्टार्ड क्वैश्चन था जिस पर 25 मिनट चर्चा हुई, मंत्री महोदय द्वारा उसमें समाधानकारक उत्तर न देने की वजह से पूरे हाउस के सम्मानित सदस्य जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया उनकी भावनाओं को देखते हुए उन्होंने आधे घंटे की चर्चा इस पर मंजूर की है, इसलिए मेरी ओर से और जिन हजारों मकान में रहने वाले कोल माइन्स में जिनके मकान बुलडोज़र से

गिरा दिए गए हैं उनके परिवार की ओर से स पति जी का शुक्रिया अदा करता हूं ।

उपसभापति महोदया, मैं जिस चन्द्रपुर जिले से आता हूं उस चन्द्रपुर जिले में कोयले की काफी खदानें हैं, फारेस्ट्स और मिनरल्ज़ से भरा हुआ यह जिला है और मंत्री जी की जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि पिछले साल जब मैंने राज्य सभा में चन्द्रपुर जिले में कोल डिपाज़िट्स के बारे में जानकारी मांगी थी तो अभी तक जिन तीन ताल्लुका का सर्वे हो चुका है उन तीन ताल्लुका में 30 हजार करोड़ से ज्यादा डिपाज़िट्स हमारे उस जिले में कोल अथारिटी को मिला है । एक तरफ उस जिले की जनता देश को लगने वाला कोयला, जिस कोयले के माध्यम से इस देश ने औद्योगिक क्षेत्र में काफी तरक्की की है, उस कोयले के लिए जिन किसान भाइयों की जमीन लगती है जमीन देते हैं, जिनका मकान लगता है मकान देते हैं, ऐसी हालत में उस जिले में कोल इंडिया अथारिटी की जो वहां सब्सिडियरी कंसर्न है वैस्टर्न कोल फील्डज, डब्ल्यू.सी.एल. के नाम से उसके अधिकारियों ने उस संस्था को एक माफिया का रूप दिया है । हमने बिहार में माफिया सुना था, लेकिन डब्ल्यू.सी.एल. के अधिकारी माफिया के रूप में वहां से हमारे नागपुर में, चन्द्रपुर में, छिदवाड़ा में काम कर रहे हैं और यह सरकार के लिए, केन्द्र सरकार के लिए और आपकी मिनिस्ट्री के लिए बहुत शर्म की बात है । उपसभापति महोदया, मै आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा कि जब 1917 में सुन्दरलाल डागा की प्राइवेट कोल माइन्ज़ थीं धुगुश में थीं, बलारशा में थी, प्राइवेट ओनर्ज़ ने महाराष्ट्र के लोग, चन्द्रपुर जिले के लोग अण्डरग्राउंड माइन्ज़ में जाकर काम नही करना चाहते थे, इसलिए आन्ध्र से, बिहार से और यू.पी. से मजदूरों को लाया गया और उसमें 90 परसेंट मजदूर अनुसूचित जाति के है । उन लोगों को रहने के लिए प्लाट दिए गए और उस समय, उप-सभापति महोदया, उस प्लाट के लिए सलाना आठ आना, उस समय पैसे नहीं थे आने में चलता था, 8 आना नोमिनल रेंट उन्होंने लाइसेंसी के रूप में दिया था और उसका 8 आना चार्ज करते थे । मैंने इसकी जानकारी ली और 1917 से तीन-तीन जेनरेशन्ज़ उन लोगों को, उनसे एडवांस लिया अपने मकान बनाए और नेशनलाइजेशन के बाद, 1973 में जब नेशनलाइजेशन हुआ, कोल माइंस हमने पूरी टेक ओवर की और कोल इंडिया के नाम से हमने सेंट्रल गवर्नमेंट की एक पब्लिक अंडर टेकिंग बनायी । उसका उद्देश्य था कि देश में ज्यादा-से-ज्यादा कोयला निकले, उसका उत्पादन हो और मजदूरों को उचित वेतन मिले । एक तरफ स्वर्गीय इन्दिरा जी ने जिस भावना से इस कोल माइंस का राष्ट्रीयकरण किया, तो दूसरी तरफ कोल माइंस के अधिकारी उस में अनियमितता कर रहे हैं । उप-सभापति महोदया, वहां "ए" और "बी" ग्रेड का कोयला होता है, लेकिन गुजरात बार्डर से भारी मात्रा में कोयला पाकिस्तान भेजा जा रहा है । मैं मंत्री महोदया से कहना चाहूंगा कि इस प्रकार की स्मगलिंग उस एरिया में बड़े पैमाने पर चल रही है । महोदया, 1973 से नेशनलाइजेशन के बाद 17 साल बीत गये हैं, वहां के मजदूर आराम से रहते थे, काम करते थे, उन्हें कम्पनी की ओर से वाटर सप्लाय और इलैक्ट्रिसिटी दी गयी थी, प्राइवेट मैनेजमेंन्ट ने भी प्रोवाइड की थी, लेकिन आज "ओपन कास्ट माइंस" का नया कंप्सेट है । वहां कालरी नम्बर–1, कालरी नंबर-2, और कालरी नंबर-3 इस तरह तीन कालरीज हैं और मैं मंत्री महोदय को बताना चाहूंगा कि इन तीन कालरीज में चार, साढ़े चार हजार मजदूर काम करते हैं । उनके करीब तीन हजार मकान हैं । एक-एक कालरीज में हजार-बारह सौ मकान हैं । उन मकानों में रहने वाले मजदूरों से कहा गया कि हमें यहां ओपन कास्माइन बनानी है और बगैर किसी प्रोपर नोटिस के

[श्री नरेश सी० पुगलिया]

बुलडोजर के माध्यम से 24 घंटे के अन्दर उन को साफ कर दिया गया। वहां दो चर्च थीं और एक मन्दिर था, उनको भी उड़ा दिया गया।

उपसभापति महोदया, आप भी महाराष्ट्र से आती हैं। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, आप को मालूम ही है कि चन्द्रपुर और गड़चीरूली जिले में नक्सलाइट एक्टिविटीज कितनी है? वहां नक्सलाइट एक्टिविटीज क्यों बढ़ रही है? क्योंकि लोकतन्त्र के माध्यम से चुनी गयी सरकार... **(व्यवधान).....**

श्री चतुरानन मिश्र (बिहार) : किस स्टेट में हैं, ये?

श्री नरेश सी. पुगलिया : महाराष्ट्र में।

श्री चतुरानन मिश्र : : किस डेट में हुआ, यह, बता दीजिये।

DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY (Andhra Pradesh): On what date has it occurred?

THE DEPUTY CHAIRMAN: When did the demolition take place?

श्री नरेश सी. पुगलिया : आरिफ साहब के आने के पहले की घटना है, अभी की नहीं है।

श्री मोहम्मद खलीलुर रहमान (आन्ध्र प्रदश) : डेट क्या है?

श्री **नरेश सी. पुगलिया :** एक साल पहले की है। उस समय सरकार कोई भी रही हो, लेकिन इस तरीके से अगर गरीब आदमियों के मकान बुलडोज कर दिये जाते हैं, तो यह शर्मनाक बात है। उपसभापति महोदय, हमारा एरिया टोटली सेंसेटिव एरिया है, नक्सलाइट एरिया है और जहां-जहां यह अन्याय और अत्याचार इस प्रकार से होते हैं और राज्य सरकार और केन्द्र सरकार जो कि जनता के द्वारा "बेलेट" के माध्यम से चुनी हुई होती है, जब उनकी मदद नहीं कर पाती है, तो वहां के आदिवासी और दूसरे भाई नक्सलवादियों का सहारा लेते हैं। उपसभापति महोदया, जिन लोगों ने यह माफिया चलाया है, उसमें कुछ राज्य सरकार के अधिकारी अपने साथ लिये हैं और कुछ हमारे जैसे नेता ले लिये हैं। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि डब्ल्यू.सी.एल. में पिछले दस साल और खासकर पिछले पांच साल में आपके कोल इण्डिया के लोगों ने कितने बोगस परमिट दिये अगर आप यह जानकारी लेंगे **(समय की घंटी)**....महोदया, यह महत्वपूर्ण है...

उपसभापति: महत्वपूर्ण तो है, लेकिन आप डिमोलीशन तक ही अपने को सीमित रखिये, परमिट पर मत जाइये क्योंकि जो आप का विषय है, वह इसलिये महत्वपूर्ण है कि गरीबों के घर तोड़े गये। आप उसको इधर-उधर से ले जायेंगे, तो उसकी वेल्यू डायल्यूट हो जायेगी।

श्री नरेश सी. पुगलिया : इनकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? इसलिये मैंने कहा कि इस माफिया के हाथ बहुत लम्बे हैं। यह माफिया राज्य की सरकार के अधिकारियों को अपने हाथ में रखता है, हम जैसे नेताओं को अपने हाथ में रखता है। मंत्री महोदय मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आपके मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी उन लोगों की मदद करते हैं।

उपसभापति महोदया, मैं चौथी बार राज्य सभा में आया हूं। मैंने स्पेशल मेंशन के माध्यम से यह विषय उठाया है और स्पेशल मेंशन के माध्यम से उठाने के बाद तत्कालीन मंत्री महोदय साठे जी ने इन्स्ट्रक्शन दी कि इस बारे में मीटिंग ली जाय। महोदया, आप के चैयरमैन मीटिंग कैसे लेते हैं, मैं मंत्री महोदय को बताना चाहूंगा कि नागपुर

से उन्होंने फतवा दिया कि, एम.एल.ए.; एम.पी. और कलेक्टर नागपुर आ जायें। आपने उनकी सुविधा के लिये हैलीकोप्टर दे रखा है। कोई भी आपकी कम्पनी में हैलीकोप्टर नहीं है, लेकिन डब्ल्यू.सी.एल. को आपने हैलीकाप्टर दे रखा है और हर कोलयरी में उनकी उतरने की जगह है। अब नागपुर से उड़े धुगुश और धुगुश से उड़े नागपुर। यह सारा 150 किलोमीटर के रेडियस का एरिया है, बाई कार जा सकते हैं, लेकिन बगैर हैलीकोप्टर के नीचे नहीं उतरते।

इसके साथ ही मंत्री जी अगर हम आपको रिक्वेस्ट करें, आपको पत्र लिखें तो हमारे पत्र का जवाब आप अपने सिगनेचर से देंगे लेकिन डब्ल्यू. सी. एल. के चैयरमेन को अगर कोई मेम्बर आफ पार्लियामेंट या एम. एल. ए. पत्र लिखता है तो उनकी इतनी कर्टसी भी नहीं कि वह अपने सिगनेचर से जवाब दें, वह तो अपने सबॉर्डिनेट या किसी दूसरे हैड आफ दी डिपार्टमेंट के हाथ से जवाब भिजवाते हैं। हमारे राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी, प्रधान मंत्री जी या कोई भी मंत्री होता है, अगर उसको कोई मेंबर आफ पार्लियामेंट पत्र लिखता है तो वे अपने सिगनेचर से उसका जवाब देते हैं चाहे रेप्लाई निगेटिव रहे या पोजिटिव रहे, लेकिन खुद के साईन से जवाब देते हैं और डब्ल्यू. सी. एल. चेयरमैन में इतनी भी कर्टसी नहीं है। मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि वह कहां तक पहुंचे हैं और इसका कारण क्या है?

उपसभापति महोदया, 300/– या 350/– रुपए टन की चीज जब गुजरात बोर्डर से पाकिस्तान में जाती है तो उसकी जो कीमत है उससे ज्यादा पैसा ब्लेक में मिलता है। मैं मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि अकेले चन्द्रपुर शहर में 200 गैरज खुले हुये हैं और 200–400 डिपो खुले हुए हैं, कोलयरी का नंबर दो का कोयला वहां आता है। जो इडस्ट्री बाहर के गांव की हैं, उनके जो परमिट हैं, अगर हजार टन की जरूरत है तो पांच हजार टन का परमिट है, कुछ बोगस परमिट राजनेताओं के रिश्तेदारों के, कुछ आपके वरिष्ठ अधिकारियों के और इस प्रकार से कोयला वहां से आता है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि अगर इस प्रकार की ओपेन कास्ट माइन्स के लिए जमीन की जरुरत थी तो क्या आपका फर्ज नहीं था कि आप उनको प्रोपर-वे में नोटिस देते, उनका आप अरेंजमेंट करते? आपने अपने रेप्लाई में, जो 7 तारीख का क्वेश्चन था, कहा कि 1120 लोगों के परिवारों को हटाना पड़ा, उनमें से 915 कंपनी के कर्मचारी हैं और 205 गैर-कर्मचारी हैं। गैर-कर्मचारी के रिहेबलिटेशन की आपने क्या व्यवस्था की कि उनको सौ मीटर का छोटा सा प्लाट दे दिया और जो आपने फिगर दी हैं, जो आपने राशि दी है वह दो हजार रुपया नगदी और तीन हजार रुपया दूसरा। मंत्री महोदय, यह आपका बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। मैं मानता हूं कि इसमें आपकी गलती नहीं है, लेकिन आपके अधिकारी कितना गैर-जिम्मेदाराना बर्ताव करते हैं, इससे स्पष्ट है। अब उस धुगुश कोलयरी से सीमेंट फैक्टरी लगी हुई है, यह 150–200/– रुपए सीमेंट के बोरे की कीमत तो पूरे हिंदुस्तान में नहीं है, 70/– रुपए या 72/– रुपए हमारे यहां का रेट है, अगर बीस बोरे सीमेंट लिया तो उसकी कीमत 1400/– या 1500/– रुपए होती है, लेकिन आपके स्टेटमेंट में दिया है कि 3000/ रुपए के बीस बोरे सीमेंट लिया। तो इस प्रकार से इस सदन को गुमराह कर रहे हैं, आपकी मिनिस्ट्री को गुमराह कर रहे हैं। कितने गैर-जिम्मेदाराना आपके अधिकारी हैं?

उपसभापति महोदया, वहां पर 90 परसेंट आपके एम्पलाईज हैं, उनको क्वार्टर में शिफ्ट कर दिया और शिफ्ट करने के बाद उनका आर्ग्युमेंट है कि जो एम्पलाईज हैं, उनको हमने क्वार्टर दे दिया है और गैर-एम्पलाईज जो हैं, उनके रिहैबिलिटेशन के लिए पांच या सात हजार, जो भी हैं, उसका जिक्र किया है। महोदया, वहां जो भी

[श्री नरेश सी० पुगलिया]]

मकान थे, वह बीस हजार से लगाकर डेढ लाख की कीमत के मकान थे, उन्होंने अपने खुद के परिश्रम से, खुद के पैसे से मकान बनाए थे । जब मीटिंग बुलाई गई तो हमने चेयरमैन से विरोध किया कि नहीं, आपको चन्द्रपुर आकर मीटिंग लेनी चाहिए और जिनके मकान हैं, उनसे बात करनी चाहिए । उन्होंने कहा कि सरपंच से बात करेंगे, एम. एल. ए. , एम. पी. से बात करेंगे । अब मकान किसी गरीब आदमी के और हमारे जैसे दलाल अगर बीच में पड़कर बात करते हैं तो कितनी गलत बात है । जिस गांव के मुखिया का मंत्री महोदय ने उल्लेख किया है कि हमने मुखिया के साईन लिए हैं । मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि जब चेयरमेन हेलीकोप्टर से वहां आए नागपुर की मिटिंग में, मैं जानबूझकर नहीं गया और किसी एम.एल.ए., एम.पी. के साईन ले लिए गए, सरपंच के साईन ले लिए गए । मैंने इसका साठे साहब के पास विरोध किया, कंसलटेटिव कमेटी का मैं मेम्बर हूं, मैंने वहां भी इसका विरोध किया, आदरणीय मिश्रा जी यहां बैठे हैं, उनको पता होगा । साठे जी ने उस समय कहा कि मैं मीटिंग बुलाता हूं और उन्होंने मीटिंग बुलाई । उसमें कोल-इंडिया के चेयरमैन थे, डब्लू. सी. एल. के चेयरमैन थे, सेक्रेटरी, जवॉइंट सेक्रेटरी थे, मैं खुद भी वहाँ मौजूद था । उन्होंने कहा कि यह एनक्रोचमेंट है मैंने कहा कि यह 1973 में नेशनलाइजेशन हुआ और वह लोग चालीस साल, पचास साल से वहां हैं, तो यह एनक्रोचमेंट कैसे हुआ । ? वे बाकायदा उसकी लाइसेंस -फी देते थे, आठ आना साल का वे देते थे और बाकायदा उनको वाटर-सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी प्राइवेट कंपनी ने दी थी, बाद में आपकी कंपनी ने दी, तो वह एनक्रोचमेंट कैसे हुआ ? ऐसी हालत में साठे जी ने मुझसे कहा और कोल-इंडिया के चेयरमेन ने उस समय कबूल भी किया कि जब हमने नेशनलाइजेशन किया, उस समय कोलरी टेक-ओवर करते समय में मैं भी गया था और कोलरी की जो असेट्स थी, उसका वेल्यूएशन किया । लेकिन यह दो या तीन हजार मकान थे, इसका हमने कोई वेल्यूएशन नहीं किया, इसका हमने कोई कम्पन्सेशन नहीं दिया यह मंत्री महोदय को मैं बताना चाहूंगा । साठे जी के सामने आपके कोल इंडिया के चेयरमैन ने जब कबूल किया, तब उन्होंने कहा कि हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी वहां जाएंगे, रिव्यू करके जाएंगे और कलेक्टर और एस. पी. के माध्यम से, सी. पी. डब्ल्यू. डी. के माध्यम से जो भी वेल्यूएशन होता है उससे हमें 25, 50 लाख रुपए, कोल इण्डिया 500 करोड़ रुपए का घाटा आज तक कर चुका है, डेढ़ करोड़ रुपया खुद के हेलीकाप्टर पर सालाना खर्च करता है लेकिन गरीब आदमी के मकान का कम्पन्सेशन देने के लिए वह इस प्रकार की बात करते हैं । मंत्री महोदय बता दें कि जिस क्वार्टर में उनको शिफ्ट किया है कर्मचारी के नाते रिटायरमेंट के बाद भी क्योंकि 2,5 या 10 साल बाद वह रिटायर होने वाले हैं, रिटायरमेंट के बाद क्वार्टर उनकी मिल्कियत हो जाएगी, यह मंत्री महोदय हमें आश्वासन दे दें तो झगड़ा यहीं खत्म हो जाता है । लेकिन नहीं, वे लोग एम. एल.ए., एम. पी. को गुमराह करते हैं, उनको क्वार्टर दे दिया है । जो हमारे गैर कर्मचारी हैं उनके लिए हम व्यवस्था कर रहे हैं, हम लाइट लगा रहे हैं, पानी दे रहे हैं । तो इस प्रकार से जो (**समय की घंटी**) . . .

उपसभापति : मंत्री जो को जवाब देने का टाइम तो दीजिए ।

श्री नरेश सी. पुगलिया : मंत्री महोदय जरूर इस पर जवाब देंगे । मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि यह मीटिंग चन्द्रपुर या धुगुश में अफेक्टिड लोगों के साथ इन्होंने नहीं ली, नागपुर में चन्द लोगों के साथ मीटिंग लेकर उनका रिकार्ड उन्होंने आपके सामने रख दिया । आपको उन्होंने यह भी जानकारी दी कि इसमें किसी का विरोध नहीं । मंत्री महोदय से मेरी विनती है कि एनर्जी डिपार्टमेंट की जो कन्सलटेटिव कमेटी है, उसके कुछ आदमी बैठाइए और जांच करा लीजिए । बुलडोजर से टूटे आधे-आधे मकान आज भी वहां खड़े हैं । इन्होंने जो भी मीटिंग ली, उसके बाद साठे जी ने जब यहां से दौबारा कहा तब डब्ल्यू. सी. एल. के चेयरमैन धुगुश गए । वहां की महिलाओं और कर्मचारियों ने इनका घेराव किया । एक-एक झोंपड़ी में इनको तीन-तीन घंटे पैदल चल-

वाया । उन्होंने उनको आश्वासन दिया कि सी.पी.डब्ल्यू.डी. के लोग इसका वेल्यूएशन कर रहे हैं और जल्दी ही आपको पैसा मिलने वाला है। इस प्रकार से उन लोगों को गुमराह किया है। (**समय की घंटी**)

अपने उत्तर में इन्होंने कहा 7 तारीख को, कि जो चर्च और मन्दिर हटा है उसके लिए हमने एक पर्याय जगह दे दी है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि पर्याय जगह इन्होंने एक जगह है, लेकिन किसी प्रकार का चर्च या मंदिर का खर्चा देने की इन्होंने कुबुल नहीं किया है । मंत्री महोदय यह बताएंगे कि चर्च और मन्दिर को, आपके उत्तर के मुताबिक आप पर्याय जगह देकर, उनका । जो भी खर्चा लगा था उसके बिना, आप मन्दिर और चर्च बना देंगे क्या ?

तीसरे, मैडम, मैं कहना चाहूंगा कि लीगल पोजिशन, उनके पास जो लीगल ओपीनियन है, यहां से एक ज्वाइंट सैक्रेटरी गए थे, जाने के बाद सी.एम.डी. ने वहां चलाकी की। वहां के, उनकी कम्पनी के एक प्राइवेट एडवोकेट मिस्टर मेहाड़िया है, उनका ओपीनियन लिया। मैडम, यदि वह लीगल डिपार्टमेंट का ओपीनियन होता तो उसमें कोई वजन होता, लेकिन प्राइवेट वकील की ओपीनियन, जो कि बिल्कुल इम्पार्शल नहीं है, जो कोलियरी के वकील हैं, उन्होंने कोलियरी के इन्टरेस्ट में दिया है और इस प्रकार से मंत्री महोदय को गुमराह किया है। मैडम, बम्बई में आपको पता है, 1985 में जब झोंपड़ियों को हाथ लगाया था, तो उस समय वहां वोल्गा टेलिस नाम की जो जर्नलिस्ट है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से स्टे लिया था और एक झोंपड़ी को हटने नहीं दिया था । दिल्ली में सरकार चाहे कांग्रेस की हो या जनता दल की, एक भी झोंपड़ी को हाथ नहीं लगा सकते, लेकिन इस कोल-माफिया के पास इतना पैसा है कि यह स्टेट के वरिष्ट अधिकारियों को, जिले के राजनैताओं को और आपके मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों को अपनी पॉकेट में रखकर अपनी मनमानी करवा लेते हैं ।

मंत्री महोदय, हमारे यहां धुगुश से लगी हुई एक निरोड़ा माइन्स है, एक एग्जाम्पल मैं दूंगा, निरोड़ा माइन्स में बीच में नदी की वजह से स्टेट गवर्नमेंट ने एक ब्रिज बनाया । उसमें टोल-टैक्स लगता है । मैडम, अगर ट्रक उस पर से आता है तो टोल-टैक्स उस पर लगता है । उसकी रसीद होती है--कितना माल आया, कितने ट्रक हैं । वह रिकार्ड छिपाने के लिए स्टेट गवर्नमैंट की कंडीशन को ब्रीच करके एक प्राइवेट ब्रिज बाजू से बना लिया और मंत्री महोदय, वे सालाना लाखों टन कोयला वहां से ले जाकर के रिकार्ड बचाते हैं । आप उसकी अभी भी जानकारी ले सकते हैं कि गवर्नमेंट का पक्का ब्रिज होने के बाद, टैम्पोरेरी ब्रिज की क्या जरूरत थी ? इस प्रकार से काला सोना उन खाद्यान्नों से निकालना, मजदूरों को सताना और जिन मजदूरों का मकान जबर्दस्ती तोड़ा है, कइयों को सस्पैण्ड किया, कइयों को डिसमिस किया, कइयों को ट्रांसफर किया, तो मंत्री महोदय मैं मैं जानना चाहूंगा कि इस प्रकार से लोगों को जो सस्पैंड या टरमिनेट किया है, उसके बारे में मंत्री महोदय विचार करेंगे क्या ? ... (**व्यवधान**) महोदया, आखिरी बात यह है... (**व्यवधान**)

उपसभापति : बस, अब 10 मिनट रह गए हैं, लट दि मिनिस्टर स्पीक ?

श्री नरेश सी. पुगलिया : मैडम, हमने तो तीन-तीन घंटे तक इस पर चर्चा की है।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Today we will finish it in half an hour. (*Interruptions*) I have no objection. Half an hour is half an hour.

आप बाद में चर्चा मांग लीजिए मुझे कोई एतराज नहीं है ।

श्री नरेश सी. पुगलिया : मैडम अगर हिंदुस्तान के सर्वश्रेष्ठ सदन में, राज्य सभा में गरीब जनता को न्याय

[श्री नरेश सी० पुगलिया]

नहीं मिल सका तो उन्हें कहीं भी न्याय नहीं मिल सकता ।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Let him answer.

आप मंत्री जी को जवाब देने का समय तो दीजिए ।

श्री नरेश सी० पुगलिया : उपसभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि ये जो 1120 मकानों के अलावा, दो कोलियरों में करीब दो-ढाई हजार मकान और हैं, अगर हमारी मंशा थोड़ी सी भी गलत है तो आपके कोल माइंस के अधिकारी उस ज़िले में काम नहीं कर सकते । यह मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूं लेकिन हमने उनकी बात को यहां पर उठाया है । यह हमारा लोक प्रतिनिधि होने के नाते फर्ज है । अगर आप जिले के दौरे पर आएंगे तो मैं सैंकड़ों किसानों को आपके सामने खड़ा कर दूंगा । इन्होंने रातों-रात बुलडोज़र चलाकर वह लैंड ऐक्वायर किया है । जब जरूरत रही, तब इन्होंने रातों-रात सरकारी मशीनरी लगाकर कब्ज़ा किया है और जब कंपैनसेशन की बात आती है, जब उनको जमीन की कीमत देने की बात आती है तो वह दस साल पहले का रेट लगाते हैं। हमने इस बात की ओर साठे जी का ध्यान आकर्षित किया था । उन्होंने बिहार और यू०पी० में लैंड ऐक्विज़ीशन का जो रूल है, स्टेट गवर्नमेंट का जो एक्ट है उसके मुताबिक किसान भाइयों को जमीन का मुआवज़ा देना चाहिए, यह बात स्वीकार की थी लेकिन हमारे यहां अभी तक उस हिसाब से लैंड ऐक्विज़ीशन ऐक्ट के हिसाब से उनको मुआवज़ा नहीं दिया जाता है । एक तरफ आप 30 हजार करोड़ रुपए की संपत्ति वहां से निकलना चाहते हैं और बदले में गरीब को सिर्फ 5-7 हजार रुपए देकर पीछा छुड़ाना चाहते हैं ।

मैडम, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि एक एकड़ जमीन में कितना कोयला निकलता है और खास करके जो 1125 मकान आपने हटाये हैं, 2000 मकान आप और हटाने वाले हैं इन तीन कालोनियों में, तो जब आप 3000 मकान हटा रहे हैं तो वहां से जो कोयला निकालने की संभावना है वह कितना है और जो आप कंम्पन्सेशन देने वाले हैं वह कितना देंगे ?

मैडम, मैं एक बात आपको और बताना चाहूंगा कि जो 1936 का लिमिटेशन ऐक्ट है, उसके आर्टिकल 64-65 में क्लियरली लिखा है कि प्राइवेट लैंड पर अगर किसी का पोज़ैशन है तो 12 साल बाद उसको वहां से बैदखल नहीं किया जा सकता और दूसरे आर्टिकल 112 में यह कि अगर कोई गवर्नमेंट लैंड है और 30 साल से ज्यादा किसी का उस पर पोज़ैशन है तो वह उसका मालिक हो जाता है । यहां तो तीन तीन जनरेशन से लोग रहते हैं । फिर भी मिनिस्टर साहब कहते हैं कि एनक्रोचमेंट है । मान लीजिए एनक्रोचमेंट भी है किन जो 20000 से एक लाख तक की कीमत के मकान उस जमीन पर बने हुए हैं और उस जमीन की आपको आवश्यकता है तो यह कामशियल परपज़ के लिए ही आपको चाहिए । उसमें से कोयला निकलेगा जिसे आप मार्केट में बेचेंगे । कोई धर्मार्थ संस्था तो है नहीं । तो ऐसी हालत में जहां आप करोड़ों रुपए का नुकसान करते हैं वहां उन बेचारे गरीब मजदूरों को, खास करके जो आपके इम्प्लायीज़ हैं, उनको इस अधिकार से आप क्यों रोकते हैं? आपको उस जमीन पर उनको अधिकार देना चाहिए ।

हालांकि मंत्री महोदय ने कहा कि उनके रिकार्ड में नहीं है कि साठे जी ने कोई ऐसी मीटिंग ली थी सी०पी०डब्ल्यू०डी० के वैल्युऐशन के संबंध में लेकिन मेरे रिकार्ड में है । तो जो सी०पी० डब्ल्यू० डी० का वैल्युऐशन है उस हिसाब से हम पेमेंट देंगे । ग्राम पंचायत में यह रिकार्ड होगा क्योंकि वे लोग वहां टैक्स देते हैं । लेकिन आज वह लोग इस बात से मुकर रहे हैं और

आपको भी गलत रास्ता बतला रहे हैं । मेरा आपसे कहना है कि एक तरफ तो जो आपके कर्मचारी हैं उनको आप थोड़ा-बहुत कंपसेशन दे रहे हैं ।

जो कर्मचारी आपके हैं उनको आप बिल्कुल नहीं दे रहे हैं । आपके माध्यम से मंत्री महोदय से विनती करूंगा कि उन कामगार भाइयों को जो कि उस डब्लू०सी०एल० के कर्मचारी हैं उसको सी०पी०डब्लू०डी० के वैल्यूएशन के हिसाब से उनको मुआवजा देंगे या नहीं और दूसरे इस प्रकार की बर्बरता और बुलडोजर से जिन अधिकारियों ने यह गलत काम किया है उन अधिकारियों के ऊपर सी०एम०डी० रहे या जनरल मैनेजर रहे उन पर आप एक्शन लेंगे या नहीं ? मेरी आपसे मांग है कि इस पूरी घटना की सी०बी०आई० से या पार्लियामेंट की जो कंसलटेटिव कमेटी है उस कमेटी के माध्यम से इसकी जांच कराने का उचित आश्वासन देंगे जिससे उन मजदूर भाइयों को उचित न्याय मिल सके ? मैं आप को खासकर सभापति महोदय ने इस विषय की गम्भीरता को मदेद्नजर रखते हुए इस राज्य सभा के सम्मान को मद्देनजर रखते हुए यहां उठाने की इजाजत दी है उसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं और जिस विषय को यहां चार बार उठाया गया है उस पर भी अगर मंत्री महोदय गरीब आदमी को न्याय नहीं देते हैं तो वह लोकतंत्र के पीछे नहीं जायेगा वह जायेगा बुलेट के पीछे । इस चीज को गम्भीरता से लीजिए । वह जो गेलेरी में अधिकारी बैठे हैं उनको मालूम है कि कचरौली और चन्द्रपुर डिस्ट्रिक्ट में नक्सलवादी कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं । मैं मंत्री महोदय से यह उम्मीद करूंगा कि इस विषय को गम्भीरता से लेकर जिनके मकान तोड़े गये हैं उनको उचित मुआवजा दिलायें और जिन दो हजार मकानों को खाली करवाना है उनका भी उचित मुआवजा दिलाने की घोषणा करें । आपने समय दिया इसके लिए आपको धन्यवाद ।

श्री राम अवधेश सिंह (बिहार) : मैं एक-दो सवाल पूछना चाहूंगा ।

उपसभापति : बाद में । कायदा ऐसा है । (**व्यवधान**) Whatever the rule is, I am going to follow it. I am not going to flout any rule. We have done enough.

श्री मुहम्मद अमीन अंसारी (उत्तर प्रदेश) : आप कुछ दया करिये ।

उपसभापति : दया की बात नहीं है। कायदे से हाऊस चलता है । हमारे पास नियम की किताब है उसमें लिखा है उसके हिसाब से हम चलते हैं । हाफ एन आवर में जिनका नाम है उन्होंने सवाल उठाया। वह ज्यादा बोलें, ठीक है । मंत्री जी जवाब देंगे । उसके बाद आप लोग सवाल पूछ सकते हैं । कोई भाषण मैं नहीं करने दूंगी । जिसने उठाया है वह जानता है इस मसले को । इसी मसले पर बात होगी । पूरे देश के कोले के ऊपर बात नहीं होगी । (**व्यवधान**)

श्री नरेश सी० पुगलिया : जो कोयला स्मगल्ड हो रहा है... (**व्यवधान**)

उपसभापति : I agree with you that this is a serious matter. हिन्दुस्तान से अगर कोई कोयला दूसरे देश में, पाकिस्तान में स्मगल्ड हो रहा है तो आप चेयरमैन साहब से परमिशन मांगिये । अगर मंत्री जी तैयार होंगे तो उसके ऊपर अच्छी तरह से खुल कर बहस होगी। मगर कानून को नहीं तोड़ना है। जो हमारे नियम हैं हाऊस के उस पर चलना है।

ऊर्जा मंत्री, साथ में नागर विमानन मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : माननीय उपसभापति महोदया, धुगुश कोलरी में बने हुए कुछ मकानों को हटाये जाने से सम्बन्धित यह प्रश्न है। माननीय नरेश पुगलिया जो पहले भी पूछ चुके हैं। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि जो कुछ माननीय सदस्य नरेश जी ने कहा है

[श्री नरेश सी० पुगलिया]

अगर ऐसा कुछ हुआ है तो यह अत्यन्त गम्भीर बात है। अगर इन मकानों को, कच्ची झोपड़ीयों को या जो बस्ती वहां पर थी उनको हटाते वक्त कानून और कायदे का ध्यान नहीं रखा गया, जो वैधानिक प्रक्रिया अपनायी जानी चाहिए थी उस वैधानिक प्रक्रिया को नहीं अपनाया गया तो यह अत्यंत गम्भीर बात है। अगर उन लोगों का कानूनी अधिकार, उस जमीन पर जहां वे मकान बने हुए थे उनके पास मालिकाना अधिकार अगर थे और उसके बाद उनको मुआवजा नहीं दिया गया तो यह भी अत्यन्त गम्भीर बात है।

श्री नरेश सी० पुगलिया : मैंने कभी नहीं कहा कि उनको मालिकाना अधिकार नहीं दिया गया। मैंने कहा कि उनको आठ आना के हिसाब से दिया गया। आठ आना देना कोई अधिकार नहीं होता इसलिए मेहरबानी करके इसको आप मोड़िये नहीं।

श्री आरिफ मोहम्मद खान : मैं बिल्कुल मोड़ नहीं रहा हूं। मुआवजा पाने का अधिकार मालिकाना अधिकार से पैदा होता है। मालिकाना अधिकार Whether you own the property or it is because of the lease, पता नहीं आप कैसे इतनी जल्दी नतीजे पर पहुंच जाते हैं कि मैं मोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। ...अगर आप यह कहेंगे मालिकाना का अधिकार नहीं है तो मालिकाना अधिकार किस चीज से पैदा हुआ? उसके नाम पर जमीन है या लीज पर है, यह अलग बात है। मालिकाना अधिकार किस चीज से पैदा हुए? उसके नाम से जमीन है, चाहे वह लीज पर है, यह एक अलग बात है। पहला मुआवजा पाने का अधिकार तभी मिलता है जब किसी व्यक्ति का उस पर मालिकाना अधिकार होता है। आप शिकायत कर रहे हैं कि मुआवजा नहीं दिया गया। मैं यह बात कह रहा हूं। अगर आपको उस पर एतराज है तो मैं उसको वापस ले लेता हूं। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि मुआवजा देने से संबंधित मामला चाहे वहां पर मकान हों, झुग्गी-झोंपड़ी हों, छोटी बस्ती जो कुछ भी हों, उनको हटाने से संबंधित जो भी हमारे देश में कानून है, संविधान है, उसके अनुसार ही काम होगा। किसी व्यक्ति की इच्छा से, या कोल कम्पनी की इच्छा से, ऐसा नहीं होगा। इच्छा कानून नहीं है। कानून कानून है। अगर उस कानून का कहीं उल्लंघन हुआ है, किसी नियम का उल्लंघन हुआ है तो वह गम्भीर बात है। माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है उसको मैं काटना नहीं चाहता हूं। लेकिन मुझे खेद है कि मेरे पास जो सूचना उपलब्ध है वह उनकी बात से मेल नहीं खाती है। इसलिए शुरूआत में यह भूमिका बांधी है। मैं इस मामले में जाने के लिए तैयार हूं। जो सूचना मुझे उपलब्ध कराई गई है, अगर वह सही नहीं है और जैसा माननीय सदस्य कह रहे हैं, कानून का उल्लंघन किया गया है तो मैं आपके माध्यम से सदन को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं, चाहे कोई कितने बड़े पद पर क्यों न हो, अगर मकानों को हटाते वक्त जो प्रावधान किया गया है, अगर कानून का सम्मान नहीं किया गया है, किसी प्रावधान का उल्लंघन किया गया है तो जो सख्त से सख्त सजा कानून के तहत दी जा सकती है वह देने में मुझे कोई संकोच नहीं होगा। जो सूचना मेरे पास है उसको आप शांति से सुनिए।

श्री नरेश सी० पुगलिया : उसको भी आप रिकार्ड पर आने दीजिए। जनता को मालूम होना चाहिए।

श्री आरिफ मोहम्मद खान : मैं खुद ही इतनी लम्बी बात कह रहा हूं। अगर दोनों में मेल नहीं है तो उसकी जांच का दूसरा तरीका भी है। उसकी जांच करवाई जा सकती है अगर कानून के तहत जो भी सख्त से सख्त प्रावधान हो सकता है वह किया जा सकता है। अगर गलत सूचना दी गई है तो सख्त से सख्त प्रावधान हो सकता है। मंत्रालय जिसके लिए प्राधिकृत है, जो मेरे अधिकार में है उसमें कोई कमी नहीं रहेगी। माननीय सदस्य ने कहा है कि वहां पर बस्ती हटाने के लिए पहले नोटिस नहीं दिया गया था। मुझे जो

सूचना उपलब्ध कराई गई है उसमें एक नहीं, चार चार नोटिस बस्ती में रहने वालों को दिये गये हैं। मैं विस्तार से सूचना देने के लिए तैयार हूं। जिले के कलेक्टर ने नोटिस दिए हैं। पहला इविक्शन का नोटिस 11-10-86 से लेकर 13-10-86 तक दिया गया है... (व्यवधान) उनको सूचना दी गई कि जहां पर आप रह रहे हैं वह जमीन कोल कम्पनी की है और माइनिंग करने के लिए भूमि की आवश्यकता है। इसलिए उनसे कहा गया कि इसको खाली कर दो.. (व्यवधान)। जहां तक वैकल्पिक व्यवस्था का सवाल है, मैं इसके विस्तार में जाने के लिए तैयार हूं। कई जगह ऐसी हैं जहां पर वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हुई है, जमीन की जरूरत है, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। इसके बावजूद भी वह खाली नहीं कराया गया। इस पर मैं आगे आऊंगा। दूसरा नोटिस दिया गया है 2 फरवरी, 1988 को। तीसरा नोटिस दिया गया, 5 मार्च, 1988 को और चौथा नोटिस दिया गया 16-4-88 को उन 42 गैर कर्मचारियों को जो वहां ब्लास्टिक जोन है, जो उसके बिल्कुल नजदीक में रह रहे थे और जिनको खाली किया जाना अत्यन्त आवश्यक था, उनको दिया गया। इस तारीख... (व्यवधान)...

उपसभापति: बोलने दीजिए।... (व्यवधान)..

श्री आरिफ मोहम्मद खान: इस मौके पर यानी 16-4-88 को इन लोगों को नोटिस दिये गये। जिन्होंने उस जगह जहां पर वैकल्पिक व्यवस्था की गई थी, जाने के लिए अपनी सहमति दे दी थी या वह सहमति देने के बाद उससे पहले उस जगह को छोड़कर जा चुके थे उनको नोटिस नहीं दिये गये। पहले और चौथे नोटिस के बीच में बहुत सारे परिवार जहां उनके लिये वैकल्पिक व्यवस्था की गई थी, वहां चले गये थे या जाने के लिए तैयार हो गये थे या उनकी जाने की प्रक्रिया चल रही थी। इसलिए चौथे मौके पर जो नोटिस दिये गये वे केवल 42 व्यक्तियों को दिये गये। माननीय सदस्य ने इसी तरह की और बात कही। उपसभापति जी, जो रीहैबलीटेशन पैकेज वहां के लिए बनाई गई थी तो इस संबंध में माननीय सदस्य ने कहा कि 20 बैग सीमेंट 5 हजार रुपये का कैसे हो सकता है।

उपसभापति: तीन हजार।

श्री आरिफ मोहम्मद खान: तीन हजार रुपये कैसे हो सकते हैं। यह सिर्फ 20 बैग नहीं हैं इसके साथ 5 हजार ईंटें भी हैं।... (व्यवधान)...लेकिन इसमें 20 बैग के साथ 5 हजार ईंटे शामिल हैं, जो तीन हजार रुपये की हैं। दो हजार रुपया कैश दिया गया है, इससे अलग है।

श्री नरेश सी. पुगलिया: 5 हजार इसके, दो हजार रुपये का नकद और बाद में 20 बोरे सीमेंट के 3 हजार रुपये अतिरिक्त रकम दी है। यह आपके उत्तर में है आप 7 तारीख का उत्तर पढ़ लीजिए।

श्री आरिफ मोहम्मद खान: मेरे ख्याल से, उस वक्त हो सकता है कि गलत हो गया हो। लेकिन सपलीमेंटरी में भी मैंने कहा था कि मैनेजमेंट ने वहां जो प्रभावित लोग थे उनसे सरपंच ग्राम पंचायत धुगुश और वहां के एम.एल.ए. श्री श्याम बाबू वानखड़े की उपस्थिति में उनसे बात की थी और यह सहमति व्यक्त की थी कि वे 5 हजार ईंटें, कुछ लकड़ी की बल्लियां घर बनाने के लिए या उसके बदले में 2 हजार रुपया देंगे। लेकिन उसके बाद 14 फरवरी, 1990 को मैनेजमेंट, सरपंच ग्राम पंचायत धुगुश और स्पेशल एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और जो प्रतिनिधि वहां पर थे उनके साथ बैठकर यह तय किया कि एक्स ग्रेशिया असिस्टेंस जो यह दी जा रही है इसको बढ़ाकर 2 हजार रुपये नकदी की शकल में, और बिल्डिंग मैटीरियल वर्थ रुपीज 3000, बिल्डिंग मैटीरियल 3000 रुपये का, जिसमें 5 हजार ईंटें और 20 सीमेंट के कट्टे शामिल होंगे। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि दो चर्च और एक मंदिर की बात। मेरे पास जो उपलब्ध सूचना है उसके अनुसार यह पत्र है जो चर्च के जिम्मेदार हैं उनकी तरफ से लिखा गया है। उसमें है कि :

[श्रीआरिफ मोहम्मद खान]

मैं नीचे से सही करने वाला सूचित करता हूं कि हमारे चर्च न्यू हास्पिटल चर्च की स्थापना 1970 में हुई उसका एरिया बगैर इसकी डिटेल्स है, डब्लू.सी.एल. को आवश्यकता पड़ने से उन्होंने इसके स्थानान्तरण करने के लिए विनती की। हमने उनकी विनती को स्वीकार करते हुए चर्च हटाने की मंजूरी दी। उसकी जगह पर हमें 100× 100 की जगह दी गई। डब्लू.सी.एल. ने कोई अनुचित प्रकरण से, कोई भी बुलडोजर लगाकर गिराया नहीं। हमने खुद ही मंडलीय की अनुमति से, पदाधिकारियों की अनुमति से चर्च को हटाने की अनुमति दी है और उसको डब्लू.सी.एल. ने मंजूर किया है।

श्री नरेश सी. पुगलिया : कब का है यह?

श्री आरिफ मोहम्मद खान : यह 2 मई, 1990 का है (**व्यवधान**)।

श्री नरेश सी. पुगलिया : मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा। (**व्यवधान**)

श्री आरिफ मोहम्मद खान : मैं मना नहीं कर रहा हूं। मैं आपकी बात खुद ही कह रह हूं क्योंकि यह चीज आपने पिछली बार उठाई थी तब मैंने कहा था मैं उनसे चेक करूंगा। तो उसके समर्थन में उन्होंने यह डाकूमेंट दिये हैं। मैंने भूमिका इसलिए बांधी थी। मेरे पास जितनी सूचना उपलब्ध है वह उससे मेल नहीं खाती और जो सूचना आप दे रहे हैं मैं उसकी आगे जा कर भी कानूनी जांच कराने के लिए तैयार हूं। इसी तरह से दूसरा पत्र है इस पर भी तारीख नहीं है। धुगुश कालोनी नम्बर–1 में हमारा खानदानी हनुमान मन्दिर धुगुश ओपन कास्ट बनाने से उठाना पड़ा। यह मन्दिर हमारी राजी-खुशी से हिन्दू पद्धति के अनुसार उठाया गया तथा इसकी पुनर्स्थापना विधि पूर्वक पांच कुंडी गायत्री यज्ञ से सुभाष नगर में की गई और मन्दिर में कभी तोड़ फोड़ नहीं की गई। अगर ऐसी कोई शिकायत मिली है तो वह गलत है। (**व्यवधान**) मैंने पहले ही कहा है कि इस पर भी तारीख नहीं है जागेश जी।

डा. रत्नाकर पाण्डेय (उत्तर प्रदेश) : तारीख होनी चाहिए।

श्री आरिफ मोहम्मद खान : मैं यह भी उन्हें बता दूंगा कि रत्नाकर पाण्डेय जी ने कहा है कि तारीख होनी चाहिए। मैंने तो आपकी शंका को पहले ही शेअर किया। मैंने यह दिया है, अब पता नहीं कितनी बार आप कहलवाना चाहते हैं। एक बात माननीय सदस्य ने कही कि वहां कम्पनी ने अपने किसी वकील से राय ले ली। उन्होंने बाहर से कहीं से राय नहीं ली। उनकी राय तो है ही वह राय मैंने पिछली दफा पढ़ कर के बता दी थी लेकिन मेरे पास दूसरी राय भी है जो भारत सरकार के विधि मंत्रालय की तरफ से दी गई है। यह राय तो सारे डाकूमेंट दिखाने के बाद हाल ही में ली गई होगी यह उस वक्त नहीं ली गई होगी। यह तो उनसे ली गई होगी जो डाकूमेंट हैं जैसे मिसाल के तौर पर अपने एडवर्स पोज़िशन की बात कही। मैं समझता हूं कि जो कानूनी प्रावधान है मैं इस दलील के पीछे भी नहीं जाना चाहूंगा कि मैं यह कहूं कि वह लोग अदालत में क्यों नहीं गये, मैं समझता हूं कि अगर मैं उस बेचारे गरीब आदमी से यह अपेक्षा करूं कि वह कोल इंडिया से कानूनी लड़ाई लड़े तो निश्चित तौर से यह अनुचित होगा। मैं उस दलील का सहारा नहीं लेना चाहता हूं। हालांकि यह कहा गया है कि एक भी आदमी ने एडवर्स पोजेशन क्लेम नहीं किया है (**व्यवधान**) मैं तो खुद कह रहा हूं, मैं आपसे पहले कह रहा हूं, मैं उनसे यह अपेक्षा नहीं करता, इस दलील का सहारा मैं नहीं लूंगा और न लेने जा रहा हूं लेकिन वहां पर रहने वालों ने अपनी सहमति दी है शिफ्ट होने के लिए उस जगह से और ऐसा कई मीटिंगें करने के बाद कहा गया है तो मेरे लिए उस संदर्भ में कोई कार्यवाही करना भी कठिन हो जाएगा और मैं इस संदर्भ में एक बात और खास तौर से कहना चाहता हूं। मैं कोई आक्षेप नहीं कर रहा बल्कि जिला अधिकारियों की तरफ

से कोल कम्पनी को यह कहा गया, यह मैं जिला अधिकारियों की तरफ से बता रहा हूं और पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, यह कहा गया कि यह मामला बार बार उठ रहा है क्योंकि यहां जिले में राजनीतिक प्रतिद्वन्दिता है और यह बात आवश्यक क्यों है जब मैंने पूछा यह गरीब लोग हैं कुछ आगे बढ़ करके भी किया जा सकता है तो मुझे यह बताया गया कि उनको कहा गया कि यहां पर जिले में राजनीतिक प्रतिद्वन्दिता के कारण यह मामला बार बार उठता है और इस मामले को जो चीज एक बार चुने हुये प्रतिनिधियों के साथ बैठ कर तय हुई है अगर उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन या संशोधन किया गया तो इसके कारण और भी ज्यादा समस्यायें उत्पन्न हो जायेंगी, फिर यह मामला कभी भी तय नहीं होगा ।

श्री नरेश सी० पुगलिया : एक चीज मैं पूछना चाहूंगा कि इस मामले को एम.एल.ए. या सरपंच डिसाइड करेंगे या जिनका मकान टूटा है उनके साथ मीटिंग लेकर डिसाइड करेंगे ?

श्री आरिफ मोहम्मद खान : अब यह मेरे लिये बड़ा मुश्किल हो जायेगा अगर मैं इस बारे में राय देने लगूं कि वहां के एम.एल.ए. या एम.पी. की क्या नीयत है । उनकी क्या इन्टेंशन हैं, व क्या करना चाहते हैं इसके बारे में नरेश जी अपनी राय दे सकते हैं मैं नहीं देना चाहूंगा अपनी राय । मैं उनके प्रति सम्मान रखना चाहूंगा कि वे उस क्षेत्र से चुने हुये प्रतिनिधि हैं तो निश्चित तौर से उन्हें उस क्षेत्र में रहने वालों के हितों के बारे में चिंता होगी और वे उनके हितों की रक्षा करने की कोशिश करेंगे । ऐसी मैं उम्मीद करूंगा । लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि अगर माननीय सदस्य मुझे सूचनायें उपलब्ध करा दें – आप स्मगलिंग की बात कहते हैं उससे संबंधित यह विषय इस वक्त नहीं हैं, हालांकि उपसभापति जी ने कहा, लेकिन मैं उस पर भी आपसे कहता हूं या बोगस परमिट की बात आप करते हैं उसके लिये भी मैं आपसे कहता हूं कि अगर आप मुझ कोई भी निश्चत सूचना उपलब्ध करायेंगे चाहे वह निश्चित सूचना कोयले की स्मगलिंग को लेकर हो चाहे वह निश्चित सूचना बोगस परमिट दिये जाने से संबंधित हो चाह वह निश्चित सूचना – मैं कहता हूं कि जांच भी आगे की बात है अगर आप मुझे निश्चित सूचना उपलब्ध करा देंगे जैसे मिसाल के तौर पर एडवर्स पोजेशन के बारे में मुझे कोल कम्पनी की तरफ से कहा जा रहा है कि किसी ने क्लेम नहीं किया लेकिन अगर आप मुझे ऐसी दरख्वास्तें लाकर दे दें जहां उनकी तरफ से क्लेम किया गया हो तो फिर निश्चित तौर से मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि उसमें कार्यवाही जो कुछ भी संभव है कानून के अन्तर्गत वह कार्यवाही करने में कोई देर नहीं लगायी जायेगी । तो मैं आपसे कह रहा था चाहे बस्ती के हटाने को लेकर अगर किसी कानूनी प्रावधान का उल्लघंन किया गया, मुआवजे से संबंधित कोई उल्लर्घन किया गया चाहे मामला बोगस परमिट का हो, स्मगलिंग का हो केवल ऐसे साधारणतया आरोप लगाने पर नहीं अगर आप निश्चित जानकारी मुझे उपलब्ध करा दें – और मुझे इसमें भी कोई परेशानी नहीं होगी कि जो हमारी परामर्शदात्री संसदीय समिति है उसके सदस्यों के द्वारा जांच करानी हो, अगर आप कहेंगे सी.बी.आई. से जांच कराई जाए तो उसके पास भी मामला भेजने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी ।

उपसभापति महोदया, इससे पहलें कि मैं अपनी बात खत्म करूं क्योंकि मैंने एक चर्च और एक मंदिर के बारे में कहा है और यहां दो चर्चों का मामला है और यहां से हमारे माननीय चतुरानन मिश्रा जी ने पूछा था कि नोटिस देते वक्त वैकल्पिक व्यवस्था की बात की गयी थी या नहीं तो वह तो चौथे नोटिस से साफ है। जो वहां काम करने वाले लोग थे उनको प्राथमिकता के आधार पर जो कोल इंडिया की अपनी आवासीय व्यवस्था है वहां उसके क्वार्टस दिये गये । वे सिर्फ 207 थे लेकिन बाद में 12 आदमियों ने और क्लेम किया कि हमारे संयुक्त परिवार थे और उस

[श्री आरिफ मोहम्द खान]

वक्त हम लोगों ने एप्लीकेशंस नहीं दी थी तो उसमें 217 लोगों का क्लेम माना गया और उनको प्लाट देने के लिये व्यवस्था की गयी लेकिन एक चर्च ने जाने से मना कर दिया। अब मुझे विभाग की तरफ से बताया गया है कि अगर बुल-डोजर चलाकर हटाना होता तो जिसने जाने से मन किया हैं, हांलाकि उसके लिये भी वैकल्पिक व्यवस्था की बात की गयी लेकिन चूंकि उसने वैकल्पिक व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया, जाने से मना कर दिया और वह ब्लास्टिंग जोन के बिल्कुल नजदीक है लेकिन उसको अभी तक हटाया नहीं गया है, कोशिश कर रहे हैं उनको समझाने की कि जो उनके लिये वैकल्पिक व्यवस्था की गयी है उसको वे स्वीकार कर लें और वहां से हट जायें। यह तो जो सूचना उपलब्ध हैं उसके आधार पर मैंने ये बातें कहीं हैं। लेकिन मैं अपनी पहली बात को फिर दोहराना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने अगर इस कानून का प्रावधान (व्यवधान) चूंकि मेरे पूर्व ऊर्जा मंत्री श्री वसन्त साठे जी का नाम-यहां पर लिया गया है और उनका नाम लेकर कहा गया कि उन्होंने कोई आदेश दिया था तो वह और मैं एक सेकेण्ड में बताना चाहता हूं। फिर में यह कहूंगा कि मेरे पास जो सूचना है उसके अनुसार उन्होंने आदेश नहीं दिया था, हां मीटिंग के बाद जो श्री नरेश सी० पुगलिया की उनके साथ बैठक हुई उसके बाद जो फाइल पर लिखा हुआ है वह यह है :

"The Minister of Energy has desired to re-examine the issue and explore the possibility of helping the evicted families to the extent it could be done under the existing laws and guidelines of the Central Government."

अब लॉज के मुताबिक जब उसको जानना चाहा, तो उसमें जसा मैंने पहले कहा है आपसे, कानूनी परामर्श यह आया कि जमीन पर मालिकाना अधिकार नहीं माना जा सकता। यह जमीन कोलरीज की है, कोल कम्पनी की है।

हां, इस आधार पर कि यह लोग वहां पर बहुत जमाने से रह रहे हैं, इनको एक्स-ग्रेशिया असिसटेंस दी जा सकती है। मगर एक बार फिर माननीय सदस्य को यह बात कहते हुए कि जो भी इस संदर्भ में जो कुछ भी मैंने कहा है और जो उन्होंने कहा है, अगर जो भी निश्चित जानकारी मुझे उपलब्ध करायेंगे, मैं आपके माध्यम से उन्हें विश्वास दिलाना चाहूंगा कि तुरन्त हम कार्यवाही करेंगे, जांच की अगर जरूरत होगी और वह महसूस करेंगे कि इसमें जांच होनी चाहिए, तो वह जांच करेंगे।

मैं आपको यकीन दिलाना चाहूंगा कि पहले चाहे जितना कानूनों का उल्लंघन हुआ हो, अब से पहले भले ही गरीबों की बस्तियां उजाड़ी गई हों, लेकिन यह सरकार, कानून के प्रति हमारा सम्मान है और कानून के किसी प्रावधान का हम उल्लंघन नहीं होने देंगे। अगर गरीबों की बस्तियां कहीं हैं, तो हम उनसे यह भी उम्मीद करेंगे कि वह बड़ी कंपनियों के साथ अदालत में जाकर लड़ें, तभी उनके अधिकारों की रक्षा होगी। बिल्कुल नहीं होगी।

अगर आप निश्चित तथ्य दिला देंगे, तो उनको अदालत में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर उतनी अवधि तक जो वहां पर रहते रहे है, जिसका कानून में प्रावधान है, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि साल भर पहले चाहे जो कुछ हुआ हो, लेकिन हम उनके अधिकारों की रक्षा करेंगे।

साल भर पहले उनको भले ही वहां से हटा दिया गया हो, लेकिन यह सरकार निश्चित तौर पर इतनी संवेदनशील है कि पुरानी भी अगर कोई गलतियां हों, तो हम उनको सुधार सकें। धन्यवाद।

उपसभापति : आप सवाल ही पूछिए। मैं माननीय सदस्यों से कहूंगी कि अगर इसी विषय पर आप कोई सवाल करना चाहते हैं, तो करें। अगर इसके अलावा कोई दूसरे विषय पर कर रहे हैं, तो इट विल नाट बी अलौड। कोई भूमिका नहीं कोई तकरीर नहीं, सिर्फ सवाल पूछ लीजिए।

श्री नरेश सी० पुगलिया : माननीय उपसभापति जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि लोग प्रतिनिधि एम० एल० ए. हो या एम० पी, उनके जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनके प्रति मंत्री जी को जितना आदर है, उतना हमारा भी आदर है। लेकिन प्रापर्टी तो तीसरे की है और उसकी कीमत देना या न देना कोई चौथा लोक प्रतिनिधि डिसाईड करे, यह कहां का तरीका है ?

मैंने अपने भाषण में भी कहा और मंत्री महोदय आप से व्यक्तिगत मिल कर भी कहा और मैं आप से जानना चाहूंगा कि आपके कोल माइंस के अधिकारियों ने अफैक्टेड पर्सस की मीटिंग लेकर यह मामला डिसाईड क्यों नहीं किया ? सरपंच या एम० एल० ए० या एक पर्टिकुलर एम० एल० ए० और एक एम० पी० के ऊपर क्यों उन्होंने डिपेंड किया ?

तो मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या आप अपने अधिकारियों को आदेश देकर या कोई इंडिपेंडेंट व्यक्ति को भेज कर जो अफैक्टेड पर्सस हैं और जहां तक आपने गरीब आदमियों का कहा है, गरीब मजदूर तो वहां रहता था, वह आपको भी मालूम है और मुझे भी मालूम है और किस ढंग से उसे निकाला गया, यह भी पता है। तो उनकी आप इंडिपेंडेंट मीटिंग उनसे लेकर कि उनको फोर्सिबली निकाला गया कि वह खुद-ब-खुद चले गये, इसकी क्या जांच करेंगे ?

दूसरे, एक तरफ जो छोटी झोपड़ी वाले हैं, या जो आपके गैर-कर्मचारी हैं, उनको अब थोड़ा-बहुत जो भी पांच-सात हजार का आपने मुआवजा दिया या एक प्लाट दिया घर बनाने के लिए, वह ठीक है। लेकिन क्योंकि वह आपके कर्मचारी हैं, क्योंकि उनको आपने क्वार्टर दिया है, इसलिए उनको मुआवजा न देना, यह दो चीजें अलग-अलग है। इसमें डिसपैरिटी क्यों है ?

तीसरे, आपने जो लीगल ओपीनियन ली है, मेरी जानकारी के हिसाब से इस बीच में आपने ला मिनिस्ट्री की ओपीनियन ली है। इसके पहले आपने लीगल ओपीनियन क्यों नहीं ली है ?

एक माननीय सदस्य : इसका जवाब दीजिए।

उपसभापति : बाद में।

SHRI JAGESH DESAI (Maharashtra): I would like to ask a couple of these questions. It was mentioned that the basti people were also present at the time of discussions. Who were the persons who were present there? Were they people who were staying there? Were they all agreed and was any written statement taken from them? Secondly, before their houses were demolished, were they already given compensation, were they given plots or were they ordered to shift to the quarters? Lastly, it has been said that they would be given Rs. 3,000 in the form of bricks and cement and Rs. 2,000 in cash. Was this compensation given before the demolition or after that? As far as I know, I am a tenant or I have been given on lease and here is a case, what has been mentioned here by Mr. Puglia... fifty paise were taken earlier by the earlier management and water and electricity were given by this management. If a building has to be demolished, all those who stay there are always given free tenements in lieu of the demolition. So I would like to know, if the facts are like this that they are staying for so many years, whether the quarters given to them will be converted into cooperative society and they will be made the owners of these quarters because always when the building is demolished those who were staying there are always given accommodation, same accommodation, in a new building, without any cost and they are made the owners. I would like to know whether in this case, since coal-mining is commercial, the Government will consider this..*(Time Bell rings)*... So that they remain as owners of these quarters.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Shrimati Suryakanta Patil.

आप सवाल कर लीजीएगा ।

You are from that area.

श्रीमती सूर्यकांता पाटील (महाराष्ट्र) : महोदया, मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूं कि जो लोग 1917 से वहां रहते थे, मिलकियत उनकी नहीं थी मैं मानती हूं, मंत्री जी के कहने के अनुसार मिलकियत उनकी नहीं थी, लेकिन जो लोग पुरखों से, सदियों से 1917 से 1990 तक वहां रहते थे उनको या तो जबरदस्ती निकाला गया या उनके कहने के अनुसार निकाला गया या उनकी अनुमति के अनुसार निकाला गया यह मंत्री जी जानें या डब्ल्यू-सी. एल. के लोग जानें, लेकिन मानवीय अधिकारों के अनुसार और आप बम्बई में रहने वाली हैं टेनेंट्स एक्ट के मुताबिक जैसे जगेश जी ने कहा, मैं कोई जानकार नहीं हूं, लेकिन मानवीय अधिकारो को जानते हुए, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को जानते हुए, ओल्गा टेलिस ने जो दाखिल किया था सरकार के विरोध में, उस निर्णय को देखते हुए मैं माननीय मंत्री जो से पूछना चाहती हूं कि डब्ल्यू. सी. एल. ने अपने कर्मचारियों से क्या जबरदस्ती लिखाकर लिया कि जमीन जो है हम अपनी सहमति से छोड़ना चाहते हैं या उनकी अनुमति उनके दिल से ली गई ? कुछ आशंकाएं खड़ी होती हैं, तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि इन आशंकाओं को दूर करने के लिए क्या आप संसद् की कोई कमेटी नियुक्त करेंगे या पंच और सरपंच और एम. पीज ने जो कहा उसी पर निर्भर करेंग ? हम यह चाहते हैं, मैं खुद महसूस करती हूं मैं खुद लेबर यूनियन की लीडर हू या कार्यकर्ता हूं, लेबर यूनियन का काम करते-करते मैं संसद् तक पहुंची हूं, मेरे दिल में यह आशंका है कि उन कर्मचारियों पर निश्चय ही कुछ अन्याय हुआ है। कुछ डब्ल्यू. सी. एल. के लोगों की कांस्पीरेसी है। सरकार ने जो लीगल एडवाइज ली हैं वह बाद में ली है, पश्चात बुद्धि जिसे कहते हैं, यह पश्चात् बुद्धि सरकार के निर्णय में उसकी झांकी दिखाई दे रही है, तो जो आशंका हमारे दिल में है उस आशंका को दूर करने के लिए क्या सरकार इस संसद् की कमेटी नियुक्त करेगी और उस चन्द्रपुर में जहां इन लोगों को हटाया गया धुगुश में उस धुगुश में जाकर हम जानकारी हासिल करें और हमारे दिल के अन्दर की जो आशंका है उसे आप दूर करने की कोशिश करेंगे, यही मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं ।

उपसभापति : मिश्र जी, इसी के बारे में कुछ बोलेंगे, वही जगह के बारे में आप बोलेंगे ?

श्री चतुरानन मिश्र : जो इन्होंने कहा है वही बात कहेंगे ।

उपसभापति : हां, बोलिए ।

श्री चतुरानन मिश्र (बिहार) : उपसभापति महोदया, सिर्फ इसमें प्रश्न पूछना है इसलिए मैं उसी सीमा तक अपने को महदूद रखता हूं। पहली बात यह है कि मंत्री जी ने यह स्पष्ट नहीं किया कि कौन सी एजेंसी जांच करेगी, यह तो स्पष्ट हो जाना चाहिए ? अगर कंसलटेटिव कमेटी की सब कमेटी को करना है तो वह हो, अगर चीफ लेबर कमिश्नर को करना है तो वह करें या कोई इंडीपेंडेंट अथारिटीज़ चाहें तो वह करें जिसमें पुरुलिया जी भी शामिल रहें और सारी चीज़ को देखें, क्योंकि अब तो सारी बात हो गई है । माननीय मंत्री जी ने किसी चीज़ को इंकार तो नहीं किया है । उन्होंने पाज़िटिव्ली रूख लिया कि हम इसकी जांच करवा रहे हैं, तो कौन सी एजेंसी जांच करेगी, मैं यह चाहता हूं कि इसको मंत्री जी स्पष्ट कर दें ? तब अगर अधिकारी दोषी होंगे तो सजा होगी, जैसे अभी उन्होंने गारंटी की है । दूसरी बात, जो मैं कहना चाहूंगा कि यह झंझट खड़ा हो रहा है कि कोल इंडिया की कोई पालिसी इस मामले में नहीं है । मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि कोई आल इंडिया पालिसी होनी चाहिए । मान लीजिए वह मालिकाना हक हो या वैसे ही जमीन पर बसे हों, अगर 20–25 वर्ष से बसे हैं तो एकाएक बुल्डोजर लाकर फेंक तो नहीं देंगे ? इसलिए मैं चाहता हूं कि आल इंडिया

पालिसी निर्धारित हो जिसमें एक ह्यूमन टच रहे। मैं मानता हूं कि हटाना हमारे लिए जरूरी है। अगर कोयला नीचे है तो आदमी हटाएंगे नहीं तो वह धंसकर मर नहीं जाएगा और फिर हम आप को दूसरा नोटिस देंगे। इसलिए एक आल इंडिया पालिसी निर्धारित हो।

अब महोदया, डब्ल्यू. सी. एल. एरिया मध्य प्रदेश में है कि जमीन ले लेते हैं, लेकिन बदले में आप किसी को काम नहीं देते हैं। बंगाल में है कि ईस्टर्न कोल फील्ड्स में एक एकड़ जमीन लेने पर एक आदमी को काम देते हैं और कहीं-कहीं दो आदमी को भी देते है। बिहार में तीन एकड़ जमीन ले लेंगे तभी हम काम देंगे। नतीजा यह हो रहा है कि पब्लिक रेसिस्ट कर रही है। आप ने यह तो हटा दिया बुल्डोजर से लेकिन जहां दूसरी तरफ भी बुल्डोजर है वहां लोग खड़े हो जाते हैं और आपको जमीन नहीं मिलती है आपके प्रोजेक्ट कास्ट दोगुना, तीन गुना हो रही है। कोयला महंगा होता जा रहा है और हम लोग अराजकता की ओर जा रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि एक पालिसी गवर्नमेंट आफ इंडिया की हो। उसके बारे में मंत्री जी कहें कि जिसको हटाया जाए उनको हम मकान बनाकर दे दें। आपने अपने कर्मचारियों के लिए तो कहा कि वह क्वार्टर्स में चले जाएंगे, लेकिन बाकी लोग कहां जाएंगे ? इसलिए एक पालिसी होनी चाहिए जिसमें बदले में एक क्वार्टर बने। इतनी बड़ी-बड़ी कंपनियां हैं, अगर सौ, दो सौ आदमियों को बसा देंगी तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। आखिर किसके लिए इतनी बड़ी-बड़ी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनियां हम बना रहे हैं ? अगर यह टाटा, बिड़ला से भी खराब हैं तो ये जल्दी जाएं, यही न पब्लिक चाहेगी। इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारे लिए छोटे नागपुर में जहां आदिवासी बहुत होते है, यह बड़ी समस्या बन गयी है। इसलिए रिहैबिलिटेशन की पालिसी आप तय करवाइए। उसी में कम्पेनसेशन का भी तय करवाइए। बिहार के चीफ मिनिस्टर के साथ बैठकर भी विचार हुआ था, लेकिन वह तय नहीं हो पाया। मैं चाहता हूं कि आप तय करें कि कम्पेनसेशन क्या होगा ? जिस एरिया में जमीन बिकी है, उसका जो हायऐस्ट रेट होगा, उसके मुताबिक कम्पेनसेशन होगा। यह सब नहीं है आपके यहां ...(**व्यवधान**)...हम आप से कह रहे हैं कि देख लीजिए। कहीं एक आदमी को, कहीं दो आदमी का नियोजन करेंगे, यह न करके एक पालिसी निर्धारित कीजिए। इसकी गारंटी दीजिए। हम सब लोगों को बता दीजिए कि सरकार ने यह पालिसी निर्धारित की है ताकि उसके मुताबिक सही ढ़ग से काम चले।

इन्ही दो बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण चाहता हूं।

SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV (*Maharashtra*): Madam Deputy Chairman, here the question is about 400 houses out of 1120 houses demolished. It is a question of only 400 houses. So, I would like to know from the hon. Minister this thing. Out of these 400 houses, there were 200 employees of Coal India and the remaining 200 were non-employees. These houses have been demolished. Of course, the Coal India will provide accommodation to its employees. But who is going to bear the responsibility of the non-employees?

उपसभापति: वह बोल चुके हैं। उन्होंने जवाब में कहा है, आप ने सुना नहीं। जो बैग दिए हैं, जो सीमेंट दी है, वह पैसा उन्हीं लोगों को दिया है।

You are repeating the same thing unnecessarily. He has answered it.

SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV: The next point is about the cost of the houses which have been demolished. It varies from Rs. 20,000/- to Rs. 1,50,000/-. Here they are giving the same compensation for the houses which have been demolished. But the cost of the houses varies from Rs. 20,000/- to Rs. 1,50,000/-. How are they going to solve this problem? I would like to know this from the hon Minister.

[Shri Vithalrao Madhavrao Jadhav]

The hon. Minister has said that notices had been given. As far as my information goes, notices for the 400 houses which have been demolished have not been given properly. Either they have been shown only on paper or they have not been served What is the record with the hon. Minister?

My next point is that the people who were living there had been living since 1917. It means that they have been living there for the last 73 years. It has been stated that it was encroachment. What is the definition of encroachment?

Those people are living for the last 77 years. And if it is called an encroachment and the process of encroachment is adopted, then the Government may not be responsible to give any remuneration to them. Another important thing, Madam, is this : What is the action plan to control the coal mafia gang? My hon. friend has said that they will control the coal mafia gang. Is there any hand of the coal mafia gang to evacuate those people? What is their intention about it? Is there any survey with the Coal Ministry as to how many people are involved in the coal mafia gang? Secondly, Madam, is there any coordination between the State Government and the Central Government for the reinstatement of the people who have been evacuated from the place? What is the reasons for demolition of the houses because the price of that land where the houses were there was just 50 paise per yard? So, what is the benefit of evacuation?

उपसभापति : उन्होंने कहा है । आप लोग सुनते नहीं, अफसोस की बात है । जिसने सवाल उठाया, उन्होंने शुरू में कहा कि इसलिए खाली कराया कि वहां ओपेन कास्ट माइनिंग हो रही है । . . . (**व्यवधान**) . . .

SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV: That I understand.

THE DEPUTY CHAIRMAN : That means, कि वहां कोयला निकाल रहे हैं ।

SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV: It is also to be investigated whether actually mining has started at that place or not. Or is it that just to evacuate from the place, the notices have been served and the people have been shifted from that place?

श्री आरिफ मोहम्मद खान : वह ब्लास्टिंग जोन है ।

उपसभापति : वह ब्लास्टिंग जोन हैं । अभी उन्होंने कहा न, कि वह एक चर्च नहीं हटाया, वह ब्लास्टिंग जोन है ।

SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV: In the reply of the Minister...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Let other people ask the questions.

SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV : Madam, I am asking...

THE DEPUTY CHAIRMAN: No, you are not on the right track. He has already asked...

SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV: In the reply, the Minister has said that on the 2nd May, 1990, the letter from the Church about the agreement has come. It is on the 2nd May, 1990. Either it has come from the Church or it has been forced by somebody else to send such type of letters to the Church or temples. This is the matter.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now let me put the record straight. Please take your seat. The Minister has

agreed right from the beginning after the hon. Member has raised this issue that whatever information he has with him, he is sharing it with the House. And because there is a disparity between his information and the information provided by Mr. Naresh Puglia, he is going to investigate. Now there is no point in argument. So, if it is for the sake of argument, that is a different thing. But, you have trust in him. And he is always there to be called again. So, let us not waste the time of the House in asking repeated questions.

SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV: I am not saying that the Minister is not fair. He is very fair. He has assured...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Not fair; I said, 'he is there'. I do not know whether he is fair or not, but he is very much there.

SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV: The hon. Minister has said that there will be full investigation. I want to know whether the enquiry will be by some legal body or a Parliamentary committee. In which way this enquiry will be held? That is my last question.

THE DEPUTY CHAIRMAN: He said everything. What is the point in asking again?

SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV: What type of committee is being appointed? That is my question.

उपसभापति : चतुरानन मिश्र जी ने भी वही सवाल किया । मैं आपसे फिर निवेदन करती हूं कि जो सवाल अभी तक पूछ गए है, मुझे पूरे याद है । उसके अलावा अगर किसी ने सवाल उठाया तो I will allow, otherwise I will not allow. Now, Shri Hanumanthappa.

SHRI H. HANUMANTHAPPA (Karnataka): Madam, while counting the days, we have lost the track. That is where I feel sory. I am a lawyer. Many good cases are lost by bad argument. That is what has happened now unfortunately. The very purpose of raising this issue is whether we can get any compensation to those unfortunate fellows. In our argument, we have lost the whole track, and we stick to our guns. Mr. Puglia asked something and the Minister rebutted the whole thing, and finally we come to a stand-still position. My point is this. Usufructuary rights have been acquired by those people. If you say 'malkin', no. If you go by adverse position, no. But I was there. I am living. I do not have the ownership of the place. If you go by law, no, I am not the owner of the area. But I am the owner of the house. I have invested some money and I have constructed this house. To that extent, I am the owner. The site does not belong to me. But there is one point which the Minister has forgotten, the Coal India has forgotten. While acquiring the colliery totally, that point is lost sight of. There is no agreement. This was not made note of, about the inhabitants of the place. Rightly or wrongly, legally or illegally, they have been living there. In the agreement between the private enterprise and the Government of India or the colliery, that part was lost sight of. It is on record. If it was included, they would have got something. If it had not been included, it was a mistake, oversight, by either side. And these people have no voice. If they had voice, they would have said 'Rightly or wrongly, we are here; we have constructed the houses'. This point I would request the hon. Minister to take note of. I have no ownership. I accept it. But I had invested some money and I had built the house. Yes. You have razed it. I have permitted. Madam, there is one more point which is forgotten here.

There is the 'master and servant' relationship between the colliery-owner and the workers. I am a labourer. I am working in the col-

[Shri H. Hanumanthappa]

liery. If my Managing Director comes to me and asks me, I cannot say 'No', because my bread is dependent on him. If I say 'No', tomorrow, I will lose my bread. This agreement cannot be taken as an agreement or an acceptance. Here comes the question of human touch. Even if there is an agreement, even if I had signed, on the basis of which you raze my house, are you right in doing that? If my Managing Director says 'I am razing your house and I am shifting you to a quarter', I agree and I say 'Yes'. If I refuse, I will not be in work tomorrow. On some ground or the other, disciplinary action will be taken against me and I will be dismissed. This aspect has to be taken note of.

Legally, I have no right. I concede straightaway. Ownership. No. Any legal advice will be in favour of the colliery-owner. And legal advice will be in favour of the Energy Ministry. But my point is that what I invested I should get. You had permitted me there. I had been living there, after investing some money in building the house, though I have no right. Now, you are shifting me to a quarter. After my retirement, I have no room. I will be in the streets. When I retire, I have to vacate that quarter, somebody else will occupy it and I will be in the streets. This point also the hon. Minister should take note of.

THE DEPUTY CHAIRMAN: You are a good lawyer. You have put it very well.

SHRI H. HANUMANTHAPPA: At least, I am now coming on the line. I think I am able to convince the hon. Minister on these lines.

PROF. SOURENDRA BHATTACHARJEE (West Bengal): This is not Supreme Court.

SHRI H. HANUMANTHAPPA: I have no right to go to the court. I have conceded. I have no right.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, please conclude.

SHRI T. A. MOHAMMED SAQHY (Tamil Nadu): There is no necessity for politics.

SHRI H. HANUMANTHAPPA: You are totally mistaken. I am not on political grounds.

SHRI T. A. MOHAMMED SAQHY: This is what I said.

SHRI H. HANUMANTHAPPA: You talk of *samvedansheel*. I do not know the exact English translation. If you say you are *samvedansheel*, I want to touch your sensitive nerves. I just want to touch your sensitive nerves so that you can have a human approach to the problem. I want a categorical assurance from the hon. Minister.

THE DEPUTY CHAIRMAN: That is all? *(Interruptions)* I think we have had enough discussion.

SHRI H. HANUMANTHAPPA: I am concluding. If this is done, I think everybody will be satisfied. I want to appeal to the hon. Minister, on humanitarian grounds and on the basis of 'master-servant' relationship. The Energy Ministry is a rich Ministry. This is nothing for them. This will be a small amount compared to their total expenditure. Justice is being denied to them today. If you feel that justice should be done to them, please do it. I want an assurance from the hon. Minister.

SHRI JAGESH DESAI: He is going to make an announcement.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Minister, he says he has a weak case. He is appealing to the soft corner of your heart. Have mercy, I would say.

राम अवधेश जी, आप एक सवाल पूछ लीजिए।

It is not a question of party. In a Half-an-Hour discussion on points arising out of a question, party is not

represented. We have discussed it for more than one hour and fifteen minutes.

PROF. SOURENDRA BHATTACHARJEE: You have given so much time. Extend it a little ahead.

THE DEPUTY CHAIRMAN: He has not even started. Let him start.

श्री राम अवधेश सिंह : माननीय हनुमंतप्पा जी ने मेरा काफी काम समाप्त कर दिया है । इसलिए मैं कम समय लूंगा। सबसे पहले मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि अपने बुद्धि कौशल से उन्होंने नरेश जी द्वारा उठाए गए सवालों को चतुराई से पलट दिया . . . (**व्यवधान**)

THE DEPUTY CHAIRMAN: That is not fair. I won't allow. He has been honest to the House. Whatever facts he had, he has placed before the House.

SHRI ARIF MOHD. KHAN: He is a friend. If he wants to give left-handed compliments, let him give.

श्री राम अवधेश सिंह : "बहुत चतुराई से" मैंने कहा, इसलिए कि उन्होंने जो बात कही, उसमें बहुत पैनी दृष्टि थी और चतुराई थी । इसलिए जो सवाल है कि दो तरह के लोग हैं वहां पर, एक तो हैं आपके कर्मचारी और एक हैं गैर-कर्मचारी जिनको उस समय प्राइवेट कंपनी द्वारा बसाया गया था । आपने अनुभव से मैं . . . (**व्यवधान**)

उपसभापति : आप वहां की बात कहिए, अपने अनुभव की मत कहिए।

श्री राम अवधेश सिंह : वही मैं कह रहा हूं। एक ही बात सारी जगह है । तो जो गैर-कर्मचारी हैं उनको तो आप कंसेशन दे रहे हैं पूरा, कि वह अपने मकान दूसरी जगह बना लें और रोजी-रोटी कमा लें और अपने बाल-बच्चों के साथ रह सकें लेकिन जो आदमी वह उस जमीन पर बस गया उस कंपनी के जुर्माने में, राष्ट्रीयकरण होने से पहले, तो वह रिटायर होने पर कहां जाएगा ? अफसर रिटायर होंगे तो उनके मकान बन जाएंगे क्योंकि उनको वेतन इतना मिलता है कि वे आसानी से अपने मकान बना सकते हैं लेकिन जो कोयला खान के अंदर मजदूर लोग काम करते हैं जिनके ऊपर वह सारी कंपनी चलती है और खानें चलती हैं और सारे देश का कार्य चलता है तो उनके रिटायर होने पर अगर आप उनको इतना कंपेंसेशन नहीं देते हैं कि वह कहीं दो कमरे या एक कमरे का मकान खड़ा कर लें, तो यह उचित नहीं है ।

महोदया, इन्होंने कहा कि 5000 ईंटें, 20–30 बोरी सीमेंट और 3000 रुपए हम इन लोगों को मकान बनाने के लिए देंगे । तो मैं मंत्री महोदय को चैलेंज करता हूं कि वह 5000 ईंटों, 20–30 बोरी सीमेंट और 3000 रुपए में इंसान के रहने लायक मकान बनवाकर दिखाएं । नहीं बन सकता है । लेकिन वह कहते हैं कि 5000 ईंटें और 3000 रुपया, इतना हम दे देंगे, आप मकान बना लें । इस जुर्माने में इतनी लागत में वह मकान कैसे बनेगा, यह समझ के बाहर है ।

महोदया, मैं जानता हूं कि मंत्री महोदय का दृष्टिकोण समाजवादी रहा है और इनकी संवेदनशीलता सही अर्थों में गरीबों के प्रति रही है । तो मैं चाहूंगा कि इस बारे में इनकी दृष्टि साफ हो और कम से कम आप कंपेंसेशन की बात जो कर रहे हैं, तो आप इतना कंपेंसेशन जरूर दें कि जब वह मजदूर रिटायर हो जाए, बुढ़ापे में जब उसके बाजुओं का बल चला जाए, आंखों की रोशनी चली जाए, तब वह कम से कम एक बढ़िया सी झोंपड़ी तो बना ले जिसमें वह अपने बाल-बच्चों के साथ रह सके। इतना कंपेंसेशन तो आपका जरूर देना चाहिए ।

उपसभापति : बस हो गया ।

श्री राम अवधेश सिंह : इसलिए मैं मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि . . . (**व्यवधान**)

उपसभापति : ठीक है, बैठ जाइए।

श्री राम अवधेश सिंह : गैर कर्मचारियों को तो आप कंपेंसेशन देंगे डेढ़ लाख या एक लाख । तो जो कर्मचारी हैं उनको भी आप थोड़ी ज्यादा रकम दीजिए । यही मैं चाहता हूं । धन्यवाद ।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Minister.

SHRI T. A. MOHAMMAD SAQHI: In addition to what he has said, I will request the Government to consider....

THE DEPUTY CHAIRMAN: No, no. Please don't make a habit of just getting up. You did it earlier also. This is not a good habit, you just got up to speak. When I came to the Chair and called Mrs. Margaret Alva, you just got up to speak. I was shocked. I thought whether you are Mrs. Margaret Alva or what. Please don't do that. Let the Minister reply.

श्री आरिफ मोहम्मद खान : माननीय उपसभापति महोदया, मैंने पहले ही निवेदन किया था कि ये लोग जो कच्चे घरों में वहां पर रहने वाले थे और गरीब बस्ती थी कोयले की खानों में काम करने वाले हैं, निश्चित तौर पर उन्हें वहां से हटाते वक्त न केवल कानूनी प्रक्रिया अपनायी जानी चाहिए बल्कि उनके प्रति पूरी सहानुभूति भी होनी चाहिए । इसीलिए मैंने उत्तर के आखिर में जो कहा था और जिस पर दूसरी तरफ से एक दो के रिमार्क्स भी आये थे, इतना ही कहा था कि अगर साल भर पहले कुछ हुआ भी है, तो भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आपके माध्यम से कि पूरी सहानुभूति के साथ इस पूरे मामले को देखेंगे । अगर कानूनी प्रावधान का उल्लंघन हुआ तो वह उल्लंघन करने वाले पर भी, चाहे मुआवजा देने का मामला हो, चाहे बस्ती को हटाने का मामला हो, कानून के मुताबिक जो कार्रवाई हो सकती है वह जरूर की जायेगी ।

दूसरी बात मैंने इसलिए कही कि इस बारे में कितनी साहनुभूति दिखाई, कितनी राशि स्वीकृत की गयी इस पर दो राय हो सकती है । लेकिन तथ्यों के मामले में it is not a matter of opinion. If it is a matter of opinion there can be two opinions. But if it is a matter of fact, then either one fact is correct or the other fact is correct.

नरेश जी ने जो बातें कहीं वह तथ्यों से सम्बन्धित थीं । इसके बारे में मैंने यह कहा था कि मुझे जो तथ्य उपलब्ध कराये गये हैं वह उससे भिन्न हैं जो नरेश जी ने कराये हैं । उसमें भी मैं दुबारा से जांच कराने के लिए तैयार हूं बल्कि मैं तो कहूंगा कि जांच कराना तो मामले को लम्बा डाल देना होता है, उसकी भी जरूरत नहीं है । इसीलिए मैंने अपने आप को शीघ्र ही कोरेक्ट किया । आप निश्चित तथ्य मुझे उपलब्ध करा दीजिए मैं यकीन दिलाता हूं कि कार्रवाई करने में कोई देरी नहीं होगी । अगर जरूरी समझते हैं कि इक्वायरी भी होनी चाहिए तो मैं आपके साथ बैठकर तय कर लूंगा कि आप इसकी इक्वायरी किस माध्यम से करना चाहते हैं । अगर आप सी०बी०आई० से कराना चाहते हैं तो भी मुझे कोई एतराज नहीं होगा । अगर आप : ...

श्री अजीत जोगी (मध्य प्रदेश) : मंत्री जी आप खुद चले जाइये, तय हो जायेगा । जिस संवेदनशीलता से आप बात कर रहे हैं इसलिए हम कह रहे हैं आप समय निकाल कर स्वतः चले जाइये, हम सबको विश्वास हो जायेगा । कुछ और करने की जरूरत नहीं है । (व्यवधान)

श्री नरेश सी० पुगलिया : सदन के ऊपर भरोसा करें । अगर मंत्री जी खुद जाते हैं तो पूरा सदन आपके साथ है । आप एक दिन के लिए चले जाइये । (व्यवधान)

PROF. SOURENDRA BHATTACHARJEE: If you agree to an enquiry, supporting a particular version may lead to influencing the inquiry.

श्री नरेश सी० पुगलिया : एक सजेशन देना चाहूंगा, मंत्री जी । हमारे पूरे हाऊस को आप पर भरोसा है । आप जाकर किसी एम०एल०ए०, एम०पी० या सरपंच से बात न करके जो डायरेक्टली अफेक्टेड लोग हैं, उनके साथ बात करें जो भी आप निर्णय लेंगे पूरा सदन आप के साथ है।

श्री आरिफ मोहम्मद खान : मेरी समस्या इस मामले में यह होगी कि आप मुझे तथ्यों को उपलब्ध करा दीजिये । आपने मुझे से कहा कि वहां पर नोटिस नहीं दिये गये, जब कि मेरे पास तारीखें हैं, जिन तारीखों को नोटिस दिये गये । (व्यवधान)...आपने कहा कि उनको मुआवजा नहीं दिया गया । जब आप कहेंगे कि मुआवजा नहीं दिया गया, तो दूसरे आदमी यह मानेंगे कि उनके मालिकाना अधिकार हैं, तभी तो मुआवजे का अधिकार बनता है । हां, अगर आप यह कहें ...

श्री चतुरानन मिश्र : इन्क्वायरी में ये सब बातें आ जायेंगी । आप जांच करायें....(व्यवधान)... अपने साथ आप जाइये (व्यवधान)

श्री आरिफ मोहम्मद खान : मुझे कम्पलीट करने दीजिये ।

श्री नरेश सी. पुगलिया : किसी एम०पी०, एम०एल०ए० से बात न करके जो डायरेक्ट अफेक्टेड लोग हैं, उनसे बात करिये (व्यवधान)

श्री आरिफ मोहम्मद खान : एक साथ कई लोग बोलेंगे, तो मैं कैसे सुन पाऊंगा ।

इसको दूसरी तरह से कहिये । यह मत कहिये कि वहां नोटिस नहीं दिये । यह मत कहिये कि मुआवजा दिया जाना चाहिये । अगर आप कानूनी प्रश्न पूछेंगे, तो उसकी वजह से जो जवाब विभाग की तरफ से आयेगा, वही कहूंगा । जो जगह उपलब्ध कराई गयी है, जो प्लाट दिये गये हैं ... (व्यवधान)

श्री नरेश सी० पुगलिया : कितने लोगों को दिये गये हैं? (व्यवधान)।

श्री आरिफ मोहम्मद खान : मैं बता रहा हूं कि जैसे जाधव जी ने कहा, शायद नरेश जी ने भी कहा कि वहां जो मकानों की कीमतें हैं, वह 18 हजार रुपये से लेकर डेढ़ लाख रुपये तक है।

अब मेरे पास कानून के अन्तर्गत जो प्रावधान है कि अगर किसी मकान को या जगह को लेना है, तो उसकी कीमत का अन्दाजा करने का मेरे पास जो माध्यम कानून में दिया हुआ है, वह यह है कि मैं जिले के कलेक्टर से कहूंगा कि आप इसकी कीमत तय करके बता दीजिये । जिले कलेक्टर ने जो कहा है, उसमें बताया है कि जो सबसे बड़ी कैटेगरी है, ऐसे घर चार से लेकर पांच तक हैं और उनकी कीमत 18 हजार और 21 हजार रूपये है । अब अगर मैं यह कहूं कि सभी कुछ गलत है....(व्यवधान)..देखिये, मुझे चुनौती देने की जरूरत नहीं है । जोगी जी, आप आई० ए०एस० में रहे हैं और कलेक्टर रहे हैं....(व्यवधान)..

श्री अजीत जोगी : तरीका गलत है । 18 हजार रुपये में आज कोई कोई मकान बनता है?

डा० रत्नाकर पांडेय : आप स्वयं जाकर देख आइये ।

श्री आरिफ मोहम्मद खान : अगर मैं चला जाऊंगा, तो आप कहेंगे कि संसदीय परम्परा यह है कि जब सदन चल रहा हो, तो दिल्ली से बाहर नहीं जाना चाहिये । मेरा तो विदेश का कार्यक्रम था, आज ही कैंसिल किया है, आज रात को मुझे जाना था । जिस तरह से मेरे ऊपर आपका विश्वास है और आपके ऊपर मेरा विश्वास है, उसमें आप मुझे तथ्य उपलब्ध करा दीजिये । आपने तथ्य उपलब्ध कराये कि एनर्जी मिनिस्टर का आदेश था, लेकिन एनर्जी मिनिस्टर से कोई आदेश विभाग की फाइल में नहीं है।

श्री नरेश सी० पुगलिया : आपने कहा कि ऐसी मीटिंग ही नहीं हुई।

श्री आरिफ मोहम्मद खान : मैंने तो कहा है कि मीटिंग हुई है।

SHRI GURUDAS DAS GUPTA (West Bengal): I suppose this rhetoric will not end. I suppose there has to be an inquiry and only through an inquiry the facts will be revealed and, on the basis of the facts the Government should take action. By declaring our confidence him alone it will be impossible—and it is not fair also to involve the Minister in the inquiry. Let there be an inquiry by an agency which you deem to be fit and proper.

SHRI V. NARAYANASAMY (Pandicherry): Let there be an inquiry by an independent agency.

SHRI ARIF MOHD. KHAN: That is exactly the point I am making. If you are asking as Mr. Hanumanthappa has asked, that I should increase the amount of exgratia assistance, then it is a different question. But if you want an inquiry, then the inquiry has to go into the facts of the case. I am merely informing the honourable Member that Shri Ajit Jogi may be right that no house can be built at a cost of Rs. 18,000 to Rs. 21,000 but, as provided under the law if I have to acquire a piece of land, I will have to ask the District Magistrate to make an assessment and evaluate the property which I am going to acquire. It is not a matter of opinion. If somebody does not agree with that, he can go to the court and challenge it. Here the question is whether it is a matter of adverse possession or whether it is a matter of ownership right arising from some lease. Nobody has claimed that he has a lease, nobody has claimed that he was in adverse possession for the period which Shri Puglia has quoted from the statute. I have been informed that there is not a single application. Then, inquiry into what?... *(Interruptions)*....

SHRI GURUDAS DAS GUPTA : Mr. Minister, an inquiry into the facts —whether notices have been issued, what is the value of the land and how the whole thing was done. It is an inquiry as regards he facts, and that has to be done impartially, with a human touch, of course... *(Interruptions)*...

श्री चतुरानन मिश्र : मंत्री महोदय ने स्वयं कहा है कि जो बातें आई हैं, उनको देखते हुए वे जांच कराने के लिये तैयार हैं। आपने कंसलटेटिव कमेटी की बात कही। इसीलिये मैंने कहा कि जो भी जांच करवानी है और कौन तथ्य सही है और कौन गलत है, यह तो जांच के जरिये ही साबित होगा। वह एजेंसी क्या होगी, कह दीजिये।

श्री नरेश सी० पुगलिया : श्री चतुरानन मिश्र जी, एनर्जी मिनिस्ट्री की कंसलटेटिव कमेटी मेम्बर हैं, उनके नेतृत्व में करा लीजिये।

श्री चतुरानन मिश्र : मेरा होना ठीक नहीं है।

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Let the Minister decide.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Leave is to the Minister to decide.

DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY (Andhra Pradesh): My question is whether Coal India has no responsibility to build permanent quarters for the workers

THE DEPUTY CHAIRMAN: That is not the point.

SHRI CHATURANAN MISHRA: That is not the point. The point is what has happened. That matter has to be enquired into. Whether permanent quarters have to be given only to 200 workers or 80 million people. that is a different matter.

SHRI ARIF MOHD. KHAN: Madam, my point is, if a view is to be taken, as suggested by Shri Hanumanthappa, that since they were poor people living in that area we can think in terms of increasing the ex-gratia assistance which we have already given to them, then, it is a different question. But, if there has to be an enquiry, the enquiry will go into the question if any violation of any law, any rule, something has taken place.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: ...so propriety.

THE DEPUTY CHAIRMAN: No more argument please. I will adjourn the House.

SHRI ARIF MOHD. KHAN: Such finer aspects of propriety will be looked into, this has to be looked into. There has to be some sense.

PROF. SOURENDRA BHATTACHARJEE: Adequate compensation.

SHRI T. A. MOHAMMED SAQHY: Only humanitarian consideration has to be applied.

श्री आरिफ मोहम्मद खान : मैं फिर यह कह रहा हूं कि यह इतना लम्बा मामला नहीं है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो आपके पास निश्चित जानकारी है, इन्क्वायरी के लिहाज से वह आप हमें दें। हमारी जो परामर्शदाती समिति है, उसकी एक छोटी सब-कमेटी बनाकर उसमें यह काम लेंगे। (व्यवधान)...एक ही वक्त में थोड़े ही सब कुछ हो जाता है। परामर्शदात्री समिति की एक छोटी उप समिति बनाकर उसको यह काम देंगे। लेकिन इसके पहले आपको.... (व्यवधान) ...

SHRI V. NARAYANASAMY: Meanwhile please increase the ex-gratia amount.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Every body is agreed. There is no question of mentioning about ex-gratia amount just now.

श्री आरिफ मोहम्मद खान : लेकिन इसमें जो आप हिसाब से उल्लंघन हुआ है, हम चाहेंगे कि आप उसकी निश्चित रूप से जानकारी हमारे पास भेज दें।

SHRI H. HANUMANTHAPPA: Only one point remains, Madam. The Minister has qualified his assurance that some evidence is to be placed. I am not going into the details of evidence. Whatever agreement has been brought...(*Interruptions*) I am taking only one minute. Please have patience. The letter from the church dated 2-5-90 after the question was admitted, speaks volumes.

SHRI AFIF MOHD. KHAN: Please. We have decided to entrust the matter. Or have you started an enquiry right now? The question is: Since this question was raised last time, I had to enquire from them, and I enquired from them. Then they brought it today. If you start attributing motives today itself, then, what is the use of holding the enquiry?

SHRI H. HANUMANTHAPPA: I agree with you.

THE DEPUTY CHAIRMAN: We have had enough discussion.

The House is adjourned till eleven o'clock tomorrow.

The House then adjourned at thirty-three minutes past seven of the clock till eleven of the clock on Wednesday, the 16th May, 1990.